मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–10/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– **जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता बाबत ।**

----000----

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–10/2011/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 01/06/2011 के अनुक्रम में **जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल** को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु निर्धारित दरों पर दिनांक 01/06/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16.X.12
(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–10/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल (म.प्र.)

16.X.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–24/2012/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 16/10/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः–**सिटी हास्पीटल,भोपाल** को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

...........0000000...........

राज्य शासन एतदद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत **सिटी हास्पीटल,भोपाल** को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

क.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	81,000/-
2	Total Knee Replacament	99,000/-

2– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :–

1– चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
2– चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
3– मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यो से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4– जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
5– संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।
6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविघालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।
7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

निरन्तर.....2

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10–संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16.x.12
(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–24/2012/सत्रह/मेडि–3 **भोपाल,दिनांक 16/10/2012**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– **संचालक, सिटी हास्पीटल भोपाल।**

16.x.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल,दिनांक 16/10/2012

क्रमांक एफ 9–25/2012/सत्रह/मेडि–3

प्रति,
1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः–नर्मदा ट्रामा सेंटर,भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत **नर्मदा ट्रामा सेंटर,भोपाल** को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

क.	उपचार/जांच	दर
	Spinal Surgeris	
1	Cervical	14,500/-
2	Dorsel	14,500/-
3	Lumber	14,500/-
	Head injury	
1.	Acute SDH	16,375/-
2.	EDH	16,375/-
	Brain Tumour	
1.	Melignat Tumar	20,700/-
2.	Benign Tumor	21,200/-
3.	RFLG For trigeminal	8,550/-
	C.T.Scan	
.1	C.T.Scan Head	1600/-
2	C.T.Scan other body part	3000/-
	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-

2– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :–

1– चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2– चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3– मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नही लिया जावेगा ।

4– जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

निरन्तर..........2

5– संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविघालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10–संस्थान को नर्सिग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16.X.12

(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–25/2012/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय, भोपाल म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– **संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर,भोपाल।**

16.X.12

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–5/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– पाढ़र हास्पीटल बैतूल को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता बाबत ।

----000----

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–5/2011/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 24/05/2011 के अनुक्रम में **पाढ़र हास्पीटल बैतूल** को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु निर्धारित दरों पर दिनांक 23/05/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16.X.12
(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–5/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय जबलपुर/भोपाल म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– **संचालक, पाढ़र हास्पीटल बैतूल (म.प्र.)**

16.X.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– जामदार हास्पीटल प्रा.लि.गोल बाजार,जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता बाबत ।

–––000–––

राज्य शासन एतदद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 14/01/2011 के अनुक्रम में **जामदार हास्पीटल प्रा.लि.गोल बाजार,जबलपुर** को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु निर्धारित दरों पर दिनांक 14/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16.x.12
(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (प्रग.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय जबलपुर म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– **संचालक, जामदार हास्पीटल प्रा.लि.गोल बाजार,जबलपुर (म.प्र.)**

16.x.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 9–1/2009/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– विशेष हास्पीटल एण्ड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन,इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता बाबत ।

——000——

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–1/2009/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम में **विशेष हास्पीटल एण्ड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन,इन्दौर** को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 03/02/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14/2010/17/मेडि–3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16.x.12
(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–1/2009/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय इन्दौर म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– **संचालक, विशेष हास्पीटल एण्ड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन,इन्दौर (म.प्र.)**

16.x.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 16/10/2012

क्रमांक एफ 9–01/2004/सत्रह/मेडि–3

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– **जबलपुर हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर,रसल क्रासिंग जबलपुर को म.प्र.उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता बाबत ।**

----000----

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–01/2004/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 10/02/2010 के अनुक्रम में **जबलपुर हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर,रसल क्रासिंग जबलपुर को म.प्र. उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों** की जांच/उपचार हेतु निर्धारित दरों पर दिनांक 10/02/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16.X.12

(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 16/10/2012

पृ. क्रमांक एफ 9–01/2004/सत्रह/मेडि–3

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1866/1993/2012/नि/चार, दिनांक 12/10/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– **संचालक, जबलपुर हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर,रसल क्रासिंग जबलपुर (म.प्र.)**

16.X.12

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग